मध्यांचल ग्रामीण बैंक
(भारत सरकार,भारतीय स्टेट बैंक एवं मध्यप्रदेश शासन का संयुक्त उपक्रम)
दूरभाष क्र. 07582-236008,236588 ई मेल : hrd@mgbank.co.in

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (एनपीए एवं एसएमए खातों के अनुवर्तन हेतु) पद हेतु सेवानिवृत्त अधिकारियों की सूचीबद्धता

मध्यांचल ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय - सागर एवं सात क्षेत्रीय कार्यालयों (दमोह,शिवपुरी,टीकमगढ़, छतरपुर,सतना,रीवा एवं सीधी) में एनपीए एवं एसएमए खातों के अनुवर्तन हेतु ग्रामीण बैंक / व्यावसायिक बैंक के स्केल - II एवं इससे ऊपर के सेवानिवृत्त अधिकारियों की विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर पूर्ण वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अस्थाई रूप से सूचीबद्धता हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं । प्रत्येक कार्यालय हेतु 02 पद रहेंगे । विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप बैंक की वेबसाइट www.mgbank.Co.in पर उपलब्ध है । इच्छुक उम्मीदवार पूर्ण आवेदन पत्र, बैंक के मुख्य प्रबंधक कार्मिक, प्रधान कार्यालय - सागर को दिनांक 31/07/2021 को सायं 5 बजे तक प्रस्तुत करें । अवधि पश्चात प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

महाप्रबंधक (प्रशासन)

प्रति,
महाप्रबंधक (प्रशासन)
मध्यांचल ग्रामीण बैंक
प्रधान कार्यालय– सागर (म.प्र.)

फोटो

महोदय,

<u>विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (एनपीए एवं एसएमए खातों के अनुवर्तन) पद हेतु सूचीबद्ध करने बावत् आवेदन</u>

क्र.	विवरण	आवेदक द्वारा स्पष्ट अक्षरों में भरा जावे
1	नाम	
2	पिता का नाम	
3	जन्म तिथि	उम्र– ....वर्ष.............माह
4	पी.एफ. क्रमांक	
5	वर्तमान निवास एवं पत्र व्यवहार का पूरा पता	
6	मोबाईल नं0– व्हाट्स एप नं0–	
7	ई–मेल आईडी	
8	आधार कार्ड नम्बर– पेन कार्ड नम्बर–	
9	शैक्षणिक योग्यता– अन्य यथा– JAIIB/CAIIB	
10	बैंक से सेवा निवृत्ति– बैंक का नाम– शाखा– दिनांक–	
11	सेवानिवृत्ति के समय पद/स्केल (संलग्न करे– सेवा निवृत्ति प्रमाण पत्र, पीपीओ एवं विगत 06 माह के पेंशन खाते का स्टेटमेंट)	
12	सेवानिवृत्ति के पूर्व की 03 पदस्थि का विवरण तिथि सहित	1) 2) 3)
13	ऋण/आडिट/एनपीए अनुवर्तन का अनुभव यदि है तो प्रमाण/पृथक विवरण संलग्न करें।	
14	सूचीबद्ध होने के लिये इच्छुक क्षेत्रीय कार्यालय	
15	वर्तमान में यदि कहीं कार्य कर रहे हैं तो उसका विवरण	
16	सेवाकाल के दौरान अनुशासनात्मक हुई हो तो उसका पूर्ण विवरण देवें।	
17	संलग्न किये गये स्वप्रमाणित केवायसी दस्तावेज	1) 2) 3)
18	अन्य विवरण	

मैं घोषणा करता हूं/करती हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जानकारी सत्य है, यदि जानकारी असत्य पायी जाती है तो मेरी पात्रता निरस्त मानी जावे।

स्थान–
दिनांक–

हस्ताक्षर सेवानिवृत्त अधिकारी

मध्यांचल ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय - सागर

दिनांक - 13/07/2021

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (एनपीए एवं एसएमए खातों के अनुवर्तन हेतु) पद हेतु सेवानिवृत्त अधिकारियों की सूचीबद्धता हेतु नियम निर्देश

(I)पात्रता शर्तें,लक्ष्य एवं देय पारिश्रमिक

(1)वर्तमान में कुल 16 पदों पर विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (एनपीए एवं एसएमए खातों के अनुवर्तन हेतु) लिए जाएँगे । बैंक के प्रधान कार्यालय सागर के लिए 02 पद एवं शेष 14 पद बैंक के सात क्षेत्रीय कार्यालयों (दमोह, शिवपुरी,टीकमगढ़, छतरपुर,सतना,रीवा एवं सीधी, प्रत्येक के लिए 2 पद) होंगे ।

(2)ग्रामीण बैंक / व्यावसायिक बैंक की सेवा से दिनांक 30/06/2019 के पश्चात वर्ग - II एवं इससे ऊपर के अधिकारी जो अधिवर्षिता की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुये हों, आवेदन के लिए पात्र होंगे ।

(3)आवेदक का स्वास्थ्य, कार्य एवं यात्रा आदि करने योग्य हो ।

(4)आवेदक के सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व के 05 वर्षों में कोई अनुशासनिक / विधिक कार्यवाही न हुई हो और न ही सेवा निवृत्ति के समय कोई कार्यवाही जारी / लंबित न हो ।

(5)आवेदक को कम से कम 05 वर्षों का ऋण से संबंधित कार्यों का अनुभव होना चाहिए । बैंक से सेवानिवृत्त क्षेत्रीय प्रबंधक, सतर्कता विभाग से संबंधित अधिकारी, अंकेक्षक एवं अग्रिम से संबंधित कार्यों में संलग्न रहे अधिकारियों के लिए 02 वर्षों का अनुभव मान्य किया जाएगा ।

(6)नामित अधिकारी को एनपीए में कमी लाने हेतु निरंतर अनुवर्तन करना होगा तथा प्रतिमाह न्यूनतम 200 केसीसी नवीनीकरण एवं न्यूनतम रु. 10.00 लाख की अपलेखित खातों में वसूली का लक्ष्य होगा, जिसकी सक्षम अधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा की जाएगी ।

(7)नामित अधिकारी को रु.20,000/- मासिक मानदेय जिसमें रु.15,000/- FIX मासिक मानदेय एवं रु.5,000/- अतिरिक्त (VARIABLE) मासिक मानदेय का भुगतान केसीसी नवीनीकरण हेतु प्रदत्त लक्ष्यों की पूर्ति करने पर निम्नानुसार देय होगा -

अ. लक्ष्य की पूर्ति 90% होने पर -	रु. 5,000/- का अतिरिक्त भुगतान
ब. लक्ष्य की पूर्ति 80% होने पर -	रु. 4,000/- का अतिरिक्त भुगतान
स. लक्ष्य की पूर्ति 70% होने पर -	रु. 3,000/- का अतिरिक्त भुगतान
द. लक्ष्य की पूर्ति 70% से कम होने पर -	कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं

नोट-उल्लेखित दरों पर मानदेय के अलावा अन्य कोई भुगतान नहीं किया जाएगा ।

(II)अन्य नियम एवं शर्तें -

(1)सेवानिवृत्त अधिकारियों को पूर्ण वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अस्थाई रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा ।

(2)सूचीबद्ध होने को किसी भी उद्देश्य के लिए पुनः नियोजन नहीं माना जाएगा ।

(3)बैंक किसी भी समय बगैर किसी प्रकार का कारण दर्शाए एक माह का पूर्व नोटिस या एक माह का मानदेय देकर निम्नलिखित कारणों से सेवाएं समाप्त कर सकता है -

(अ)यदि सौंपे गए कार्य को संपादित करने में असफल होते हैं या सौंपे गए कार्य के निष्पादन का स्तर संतोषजनक नहीं हो या प्रायः विलंब होता है ।

(ब)ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के विषय में संदेह होने पर ।

(स)आपराधिक / विधि विरुद्ध गतिविधियों में संलग्नता पाये जाने पर ।

(द)अनुबंध अवधि समाप्त होने पर ।

(इ)आवश्यकता न होने पर ।

(ई)अन्य ऐसे कारण जो सेवा जारी रखने के लिए निरुद्ध करते हों ।

(4)सूचीबद्ध अधिकारियों के कार्य निष्पादन की सतत समीक्षा / अनुश्रवण किया जाएगा ।

(5)अनुबंध समाप्ति के पूर्व कार्य छोडने की स्थिति में 01 माह पूर्व नोटिस देना होगा अथवा 01 माह का वेतन जमा करना होगा ।

(6)बैंक के कार्यालयीन समय का पालन करना होगा तथा कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी ।

(7)प्रतिमाह 01 दिन के अवकाश की पात्रता होगी । इससे अधिक की अनुपस्थिति में आनुपातिक मानदेय की कटौती की जाएगी ।

(8)कार्य का आबंटन बैंक के विवेक पर निर्भर होगा ।

(9)सूचीबद्ध अधिकारी बैंक के चिन्ह, बैंक की नाम पट्टिका, बैंक का विजिटिंग कार्ड, बैंक का लेटर पेड एवं बैंक की स्टेशनरी का उपयोग निजी कार्यों में नहीं किया जा सकेगा ।

(10)सूचीबद्ध अधिकारी को सीबीएस का उपयोग वर्जित होगा ।

(11)सूचीबद्ध अधिकारियों को Joining के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे -

(अ)चिकित्सक का फिटनेस सर्टीफिकेट ।

(ब)सेवानिवृत्ति सर्टीफिकेट, पीपीओ एवं विगत 06 माह के पेंशन खाते का स्टेटमेंट ।

(स)वर्तमान के 02 फोटोग्राफ ।

(द)अन्य संस्था में कार्य न करने का शपथ पत्र ।

(इ)गोपनीयता एवं बैंक हित संरक्षण का शपथ पत्र ।

(ई)बैंक खाते का डिटेल एवं केवाईसी दस्तावेज

(12)सेवानिवृत्त अधिकारियों के नाम सूचीबद्ध करने का कार्य पूर्णतः अस्थाई प्रकृति का है, इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी ।

(13) बैंक द्वारा समय-समय पर दिये गए निर्देशों का अनुपालन एवं क्रियान्वयन करना होगा ।